न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 216/2019 (173/2007)

GCMS NO. : 2007/00003

–:: प्रार्थीगण ::–

1. गौरवदीप दत्तक पुत्र नैनाराम नाबालिग कुदरती वालीया प्राकृतिक माता मंजुलता उफ धनेश्वरी गौड़ जातियान ब्राह्मण निवासी बैडकलां तहसील जैतारण।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. पन्नालाल पुत्र नरसिंह
2. भंवरलाल पुत्र नरसिंह
3. नारदमुनी पुत्र नरसिंह
4. फाउलाल पुत्र नरसिंह जातियान ब्राह्मण निवासी बैडकलां तहसील जैतारण।
5. उपपंजियन अधिकारी, जैतारण।
6. तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण के ब्रीफ होल्डर उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 31/03/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के सदस्य है। वंशावली अनुसार सायल एवं गैरसायल संख्या 02 से 05 नरसिंह की सन्तान है तथा गैरसायल संख्या 01 नरसिंह की पत्नी है। मृतक नैनाराम की मृत्यु दिनांक 27/08/2005 को हो गयी तथा उसकी पत्नी कमला की भी मृत्यु दिनांक 07/01/2007 को हो गयी। मृतक नैनाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई दशरथ के पुत्र सायल गौरवदीप को गांव समाज तथा रिश्तेदारों की उपस्थिति में गौद लिया तथा गौरवदीप की माता तथा प्राकृतिक पिता दशरथ ने गोद दिया तथा मृतक नैनाराम व उसकी पत्नी कमला ने गौद लिया तथा उसे गौद में बैठाया व समाज के लोगों को मांगलिक दिया व भोजन आदि करवाया। सायल को इनके आदि गौड ब्राह्मण विकास सेवा समिति जैतारण के अध्यक्ष व मंत्री ने दतक पुत्र बाबत प्रमाण पत्र भी दिनांक 17/09/2007 को दिया। सायल गौरवदीप नाबालिग [illegible] दतक पुत्र नैनाराम का है जिसकी माता का भी देहान्त [illegible] से उसका हित उसकी प्राकृतिक माता में निहित है इसलिए सायल [illegible] से कुदरती वलीया बनकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ही है। [illegible]सील–जैतारण में सायल की दतक पिता नैनाराम की नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर–252 रकबा 40–01 बीघा किस्म चाही दोयम आयी हुई है उक्त भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार नैनाराम था उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में नैनाराम का कब्जा व काश्त था तथा उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी कमला

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा व काश्त था तथा सायल गौरवदीप का अपने प्राकृतिक पिता की देख रेख में उक्त भूमि पर नैनाराम की मृत्यु के बाद कब्जा व काश्त था अब चूंकि नैनाराम कमला तथा उसका प्राकृतिक पिता दशरथ की मृत्यु दिनांक 03/08/2007 को हो गयी तत्पश्चात उक्त कृषि भूमि पर सायल गौरवदीप प्राकृतिक माता-पिता की देख रेख में सायल का चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार नैनाराम ने अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 40-01 बीघा भूमि को अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा सायल गौरवदीप के पक्ष में दिनांक 25/05/2005 को तकमींल किया तथा इस आश्य की वसीयत नैनाराम ने सायल के पक्ष में तकमील की इस कारण से सायल प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का एक मात्र मालिक है। सायल गौरवदीप 13 वर्षीय नाबालिग है प्राकृतिक पिता दशरथ की भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी प्राकृतिक माता विधवा है जिसका गैरकानूनी रूप से लाभ उठान की नियत से गैरसायलान् ने दिनांक 20/10/2007 को यह ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अब हम खडाई कर काश्त करेंगें व फसल बोयेंगे तथा उक्त कृषि भूमि पर जो मृतक नैनाराम ने दतक पुत्र के अधिकार दिये है कि खातेदारी भी गैरसायल सं0 01 के नाम दर्ज करवायेंगे व उक्त भूमि पर हम गैरसायलान् ही काश्त करेंगे व उक्त कृषि भूमि से तुम्हे बेदखल करेंगे जबकि गैरसायलान् को ऐसा गलत व गैरकानूनी कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा गैरसायलान सायल की गोद पुत्र की हैसियत से तथा वसीयतनामा से आयी जायदाद अपने नाम दर्ज करवाने हेतु गैरसायलान संख्या 07 के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जो गैरसायलान संख्या 07 ने वास्तु जॉच सरपंच ग्राम पंचायत बैडकलां भेजा। इस प्रकार गैरसायलान द्वारा सायल की कृषि भूमि को हडपने तथा अपने नाम की जानकारी होने पर सायल को अपने साम्मैतिक अधिकारों की रक्षा हेतु गैरसायलान् के विरूद्ध यह वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा तब सायल ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 252 के खेत पर एक मात्र खातेदारी व मालिकाना हक कब्जा काश्त सायल का है तथा उक्त भूमि का कानूनी रूप से जरिये गोदनामा व वसीयतनामा के एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषणा करवाने का अधिकारी सायल ही है सायल की खातेदारी भूमि से गैरकानूनी रूप से गैरसायलान् अपने नाम दर्ज करवाने में सफल होते है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा, असीम हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में आंका जाना सम्भव नहीं है सायल के पक्ष में दिनांक 25/05/2005 को मृतक नैनाराम ने वसीयतनामा तकमील किया जिससे भी सायल उक्त कृषि भूमि का एक मात्र मालिक है [illegible] की प्राकृतिक माता ने गैरसायलान् को उक्त भूमि सायल के नाम दर्ज करवाने [illegible] 20/10/2007 को कहा तो गैरसायलान ने उक्त भूमि सायल के नाम दर्ज [illegible] से स्पष्ट मना कर दिया व उक्त भूमि से बेदखल करने की [illegible] ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। नकल जमाबन्दी, गोदनाम, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पेश है। गैरसायलान उक्तभूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र गैरसायल सं0 7 के सतक्ष प्रस्तुत किया व अपने नाम म्यूटेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

...रवाने का निवेदन किया जबकि उक्त भूमि में गैरसायलान् का कोई हक व अधिकार नही बनता है यदि गैरसायल सं0 7 गैरसायलान् के नाम म्यूटेशन पारित कर दे तो सायल को अपने हकों से महरूम होना पडेगा दौराने प्रार्थना पत्र उनके नाम उक्त भूमि दर्ज हो जाती है व उक्तभूमि को गैरसायलान् किसी अन्य व्यक्ति के नाम विक्रय विलेख गैरसायल स0 6 के समक्ष प्रस्तुत करें तो उसका पंजियन नही करें इसलिए गैरसायल सं0 6 व 7 उक्त कृषि भूमि गैरसायलान् के नाम नहीं होने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थना पत्र में गैरसायल सं0 6 व 7 बनाया है। 80(2) प्रार्थना पत्र साथ में प्रस्तुत है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 06 व 07 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 04 के द्वारा वकालतनामा पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं करने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलन संख्या 01 से 03 एवं 05 के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थन पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलना नामंजूर करते हैं। सायल व गैरसायल संख्या 01 से 05 एक ही परिवार के सदस्य होने का कथन सही है। मगर इस पद में जो वंश वृक्ष दिया है जो पूर्णतया सही नहीं है। गलत व अस्वीकार है। स्वर्गीय श्री नरसिंह पुत्र श्री रामसुख जी ब्राह्मण निवासी बैडकलां के 6 पुत्र क्रमशः भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल, पन्नालाल, दशरथ, नारदमुनी व 2 पुत्रियां पारसकंवर व विमला देवी है। व श्रीमति रेवीदेवी पत्नी है। स्वर्गीय श्री नरसिंह जी की मृत्यु दिनांक 23.03.2000 को हुई व उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे जबाब दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें व स्वर्गीय श्री नरसिंह पुत्र श्री रामसुख जी के स्वर्गीय पिता रामसुख पत्र श्री रूपा जी के नाम वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त भूमि का फौतेदगी म्युटेशन संख्या 8 मौजा बैडकलां दिनांक 21.09.1958 को पारित किया गया जिसमें उनके एक नायन्दा लड़के के फौतेदगी म्यूटेशन के साथ उनके पोते भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल व घेवरचंद के नाम दर्ज किया गया। इस म्यूटेशन संख्या 08 दिनांक की फोटो प्रति इस जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे जबाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें व म्यूटेशन संख्या 308 दिनांक 15.11.1976 के द्वारा स्वर्गीय श्री नरसिंह जी व उनके लड़के नैनाराम, भंवरलाल, फाउलाल, पन्नालाल, नारदमुनी के नाम जरिये आपसी बंटवाड़ा के अनुसार म्यूटेशन भरा गया जिसकी प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे जबाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। स्वर्गीय श्री नरसिंह जी के फौत होने पर स्वर्गीय श्री नरसिंह जी के नाम की भूमि का व पैतृक भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भरकर म्यूटेशन संख्या दिनांक 09.01.2002 के अनुसार दशरथ पुत्र नरसिंह जी के नाम गलत व फर्जी वसीयत के आधार पर अकेले स्वर्गीय श्री दशरथ पुत्र नरसिंह के नाम दर्ज की गई। जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 में किया हुआ है। जिसकी प्रमाणित प्रति जबाब प्रार्थन पत्र के साथ पेश है। व इस म्यूटेशन संख्या 1006 दिनांक 09.01.2002 की साथ पेश है। व गैरसायलान को उपलब्ध नहीं हुई है। उक्त नकल मिलने पर गैरसायलान न्यायालय में पेश कर देंगे, जबकि स्वर्गीय श्री रामसुख जी की भूमि उनके पुत्र नरसिंह जी के नाम दर्ज हुई। व नरसिंह की मृत्यु के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 व इस अधिनियम की अनुसुचित के अनुसार स्वर्गीय श्री नरसिंह जी की मृत्यु दिनांक 23.03.2000 के पश्चात सम्पूर्ण भूमि उनके 6 जायन्दा पुत्र क्रमशः भंवरलाल, नैनाराम, फाउलाल, पन्नालाल, दशरथ, नारदमनी व उनकी धर्मपत्नी रेवीदेवी व दो पुत्रियां विमला देवी व पारसकंवर कुल 09 उत्तराधिकारी है। व खातेदार काश्तकार है। व प्रत्येक का बराबर हिस्सा है। व पुत्रीयों के नाम राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा म्यूटेशन से दर्ज नहीं किय गये। मगर नरसिंह जी की जायन्दा पुत्रीयों का हक व हिस्सा है व स्वर्गीय श्री नैनाराम दिनांक 27.08.2005 को फौत हुये उस वक्त उनके कोई जायन्दा पुत्र गौरवदीप पुत्र दशरथ जी को गोद नहीं लिया, गौरवदीप श्री नैनाराम का दत्तक पुत्र नहीं है, बल्कि नैनाराम जी के फौत होने पर उनके कोई जायन्दा पुत्र, पुत्रियां व कोई दत्तक पुत्र नही था। एक मात्र उत्तराधिकार पत्नी कमलादेवी थी जो दिनांक 07.01.2007 को नाऔलाद फौत हो गई है व उसके फौत होने के पश्चात स्वर्गीय नैनाराम व कमला की जमीन के उत्तराधिकारी गैरसायल संख्या 01 रेवीदेवी जो स्वर्गीय नैनाराम जी की माता है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा-08 के तहत एक मात्र उत्तराधिकारी है व काबिज खातेदार एवं काश्तकार है। व सायल गौरवदीप न तो दत्तकपुत्र है न ही नैनाराम के दादा रामसुख की बाप दादों की पैतृक व पुश्तैनी अविभक्त हिन्दु मुस्तका खानदान की भूमि को वसीयत करने का भी कोई कानूनी अधिकारी नैनाराम व उसकी पत्नी को नहीं था। व न ही नैनाराम व उसकी पत्नी ने सायल के पक्ष में कोई वसीयतनामा को ही तकमील किया, तथाकथित वसीयतनामा, अवैध, फर्जी है व सायल गौरवदीप अपने जायन्दा पिता दशरथ व माता मंजूलता का एक मात्र अकेला लड़का होने से माफिक एडोपशन एवं मेंटीनेन्स एक्ट 1956 के अनुसार माफिक कानून एक मात्र लड़के को न तो गोद दिया जाता है न हि लिया जाता है। न हि मान्य है। व स्वर्गीय श्री नैनाराम ने अपने जीवनकाल में सायल गौरवदीप को गांव व समाज के रिश्तेदारों की उपस्थिती में गोद लेने व सायल की प्राकृतिक माता व पिता द्वारा गोद देना व नैनाराम जी व उनकी पत्नी द्वारा गोद लेना, गोद में बैठाना व समाज के लोगों को मांगलिक देना, भोजन आदि करवाया व सायल गौरवदीप के गोद लेने व देने दोनों माता पिता की सहमति होने के कथन पूर्णतया गल[illegible] [illegible]नियाद है। व गैरसायल की हिस्से की जमीन हड़पने की नियत [illegible] किये गये है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिक़रा गलत है व अस्वीकार है [illegible] संख्या 02 के अनुसार मृतक नैनाराम जी की मृत्यु होने गंगाप्रसादी दिनांक 0[illegible].2005 को गांव बैडकलां में समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिती में गौरवदीप की पगडी दस्तूर होने का कथन पूर्णतयाः गलत व बेबुनियाद है। व गौरवदीप नैनाराम जी का दत्तक पुत्र था ही नहीं तो पगडी बंधवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है बल्कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहा[illegible] कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

सायल गौरवदीप के पिता श्री दशरथ गौड की मृत्यु दिनांक 03.08.2007 को हुई जिसकी गंगाप्रसादी दिनांक 15.08.2007 को मुकर हुई जिसके जाति समाज का खडा व चिठ्ठी गांव बैडकलां में दिनांक 10.08.2007 को लिखी गई जिसमें सायल गौरवदीप ने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरे पिता श्री दशरथ गौड का स्वर्गवास दिनांक 03.08.2007 को हुआ है। एवं उसके द्वारा बतौर पुत्र के खड़ा व चिठ्ठी लिखी व गंगाजल किया व यदि गौरवदीप नैनाराम जी के गौर होता तो अपने स्वयं को दशरथ जी का पुत्र होने का कथन नहीं करता। व अपने स्वयं द्वारा लिखे गये खड़ा व चिठ्ठी से पाबन्द है। इसी प्रकार दशरथ पुत्र नरसिंह जी जो सायल गौरवदीप को पिता है व दशरथ जी दिनांक 03.08.2007 को फौत हो गये। व उनकी कृषि भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 114 दिनांक 20.09.2007 को दशरथ जी के फौतेदगी के म्यूटेशन में सायल गौरवदीप का पुत्र के रूप में व उसकी माता मंजूलता का नाम बतौर संरक्षक के दर्ज है व इसका इन्द्राज जमाबंदी खातौनी सम्वत् 2062 से 2065 में दर्ज है। जिसकी प्रमाणित प्रति व खड़ा व चिठ्ठी की प्रमाणित प्रतियां जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे जबाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। व इसी प्रकार श्री नैनाराम जी भी नाऔलाद फौत हुये उनके कोई जायन्दा दत्तक पुत्र नहीं था। व उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी धर्मपत्नी कमला देवी थी जिसने अपने जीवनकाल में गोविन्द पुत्र भंवरलाल जी के लड़के को गोद लिया व उसी ने कमला देवी के बारह दिन पूरे किये थे। व दाह संस्कार किया था। वे ही नैनाराम का उत्तराधिकारी है। व कमला देवी के देहान्त पर उसकी गंगाजल के लिये दिनांक 26.01.2007 को जाति समाज व गांव के पंचों ने खड़ा व चिठ्ठी लिखी जिसमें कमला देवी, नैनाराम जी के पुत्र के रूप में गोविन्द का नाम दर्ज है। उक्त खड़ा चिठ्ठी की फोटो प्रति जबाब के साथ पेश की जा रही है। जिसे जबाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। इस प्रकार सायल गौरवदीप नैनाराम व उसकी पत्नी कमला देवी का दत्तक पुत्र नहीं है न ही उनकी सम्पति में कोई हक व अधिकार ही है। न ही उनका दत्तक पुत्र है। बल्कि वह अपने पिता दशरथ का एक मात्र जायन्दा लड़का है। व उत्तराधिकारी है व अपने पिता दशरथ के लिए गंगाजल के खड़े चिठ्ठी व दशरथ जी की भूमि के फौतेदगी म्यूटेशन से पाबंद है। व केवल नैनाराम जी की सम्पति हड़पने की नियत से प्रहलादराम पुत्र श्री बद्रीलाल जी ब्राह्मण निवासी निम्बेड़ा कलां तहसी रायपुर जो सायल से हितबद्ध है व गैरसायल से रंजिश रखते है ने झूठे अध्यक्ष व मन्त्री बनकर झूठे प्रमाण पत्र जारी किये है। आदि गौड ब्राह्मण विकास सेवा समिति जैतारण कोई पंजीकृत संस्था नहीं है। न ही कोई विधिवत अध्यक्ष व मन्त्री है। केवल अपनी इच्छा से अध्यक्ष व मंत्री बने है। और जिनके प[illegible] 17.09.2007 की न तो वैधानिक मान्यता है। इससे गैरसा[illegible] प्रकार को कोई असर नहीं पडता है गौद है ही मही तो [illegible] नहीं होता है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा [illegible] है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। गौरवदीप नाबालिग जरूर है लेकिन नैनाराम जी का दत्तक पुत्र होने के कथन गलत है नैनाराम जी व उनकी पत्नी सायल के पिता व माता होने के कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

[illegible]त है बल्कि मंजूलता उर्फ धनेश्वरी ही सायल गौरवदीप की माता है। जिसे यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है न ही सायल ने हम गैरसायलान को उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र की कोई नकल ही दी है। न ही कोई जबाब का अवसर ही दिया गया सायल का प्रार्थना पत्र का बिल खारिज के होने से खारिज फरमाया जावे उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायल गौरवदीप न तो नैनाराम व उसकी पत्नी कमला देवी का न तो दत्तक पुत्र है न था। व उसके आधार पर सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरानम्बर 252 रकबा 40.1 बीघा किस्म चारम दोयम बेरा कुम्भी का जाव व कुंआ जा सम्पूर्ण भूमि स्वर्गीय श्री रासुख जी की खातेदारी की थी। उनके फौत होने के बाद उनके लड़के नरसिंह जी व नरसिंह के फौत होने के बाद उनके 06 लड़के, 02 लड़कियां व एक पत्नी कुल 09 उत्तराधिकारी है व नैनाराम जी व कमला देवी के मरने के पश्चात उनके हिस्से की भूमि उनकी जायन्दा माता रेवीदेवी व गोविन्दराम दत्तक पुत्र नैनाराम बतौर उत्तराधिकारी व खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त करते है।

उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। स्वर्गीय श्री नैनाराम जी पुत्र श्री नरसिंह जी जाति ब्राह्मण निवासी बैडकलां ने अपनी खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर– 252 रकबा 40.01 बीघा की कृषि भूमि अपने जीवन काल में सायल गौरवदीप के पक्ष में दिनांक 25.05.2005 को वसीयतनामा तकमील कराने का कथन गलत है व अस्वीकार है। व दिनांक 25.05.2005 को बताई गई तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है व सायल गौरवदीप के पिता दशरथ द्वारा जमीन हड़पने के लिये फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है व इस वसीयतनामा टाईप करने वाले दस्तावेज लेखक का न तो नाम है न ही दस्तावेज तकमील करने का कोई दिनांक ही अंकित की गई है व न ही तथाकथित दस्तावेज नैनाराम व कमलादेवी के फर्जी अंगुठे चस्पा किये गये है। जबकि नैनाराम पढा लिखा था व हस्ताक्षर करता था व जीवनभर हस्ताक्षर किये है व कभी अंगुठा नहीं किया है। व नैनाराम व कमलादेवी के अंगुठे फर्जी है व वसीयतनामा तकमील करने का स्थान भी नहीं है व गवाह भी स्वतंत्र नहीं है। दो स्वतंत्र गवाह नहीं है। व वसीयतनामा में नोटेरी के अटेस्टेड हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 25.05.2005 अंकित है। मगर यह अटेशटेशन नैनाराम जी की मौजूदगी में उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंकन किये जाने बाबत् कोई ईबारत नहीं है। व वसीयतनामा में नैनाराम गौड़ वक्त तकमील करने वसीयत हाल अम्बिका अस्पताल जोधपुर में अस्पताल का पता [illegible] है। जबकि अम्बिका अस्पताल जोधपुर में दिनांक 01.05.2005 से दिनांक [illegible] की अवधि में स्वर्गीय नैनारम पुत्र नरसिंह जी ब्राह्मण निवासी बैडकलां तहसील जैतारण जिला–पाली नाम जाति व वल्दियत को कोई व्यक्ति [illegible] रहा ही नहीं इसलिये तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है। व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत की तारीफ में नहीं आता है। व अवैध व प्रभाव शून्य दस्तावेज है, गैर कानूनी है। इसलिये सायल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है व स्वर्गीय श्री नैनाराम जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अपने दादा रामसुख जी की पैतृक व पूर्वजों की संयुक्त हिन्दु मुस्तका खानदान की अविभक्त कृषि भूमि को वसीयत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा इसलिये यह तथा-कथित वसीयतनामा अवैध व गैर कानूनी है व गैरसायल के हितों के विरूद्ध बेअसर है। इसके कारण गैरसायल के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है न ही इसके सायल को कोई अधिकार ही प्राप्त होते है। तथा स्वर्गीय कमला देवी पत्नी नैनाराम जी के कोई सन्तान नहीं थी। वह अपने माता सोहनलाल पुत्र कुन्दनमल जी के पास अपने पीहर गांव रास में रहती थी। वह जनवरी 2005 से जुलाई 2005 में कमलादेवी जोधपुर गई ही नहीं न ही बैड़कलां आई व उसकी बहन का फर्जी अंगुठा लगाकर यह फर्जी वसीयतनामा तैयार किया है। इस बात का शपथ पत्र कमला देवी के मामा **सोहनलाल** जी ने तकमील किया जो इस जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसे जबाब का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायल के पिता दशरथ जी फौत हो चुके है उसके दशरथ जी का प्राकृतिक पिता होने के कथन गलत है व अस्वीकार है। इसी प्रकार माता मंजुलता उर्फ धनेश्वरी देवी प्राकृतिक माता होने के कथन गलत है व अस्वीकार है। इसी प्रकार माता मंजुलता उर्फ धनेश्वरी देवी प्राकृतिक माता होने के कथन गलत है व अस्वीकार है। व सायल गौरवदीपकी जायन्दा माता है व दशरथ जी की मृत्यु का गैर कानूनी लाभ उठाने की नियत से दिनांक 20.10.2007 को लिानिया धमकी देने व सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर खड़ाई व काश्त करने व फसल बोने की धमकी देने के कथन गलत है बल्कि नैनाराम जी की भूमि पर बतौर दत्तक पुत्र के गोविन्द व नैनाराम जी की माता रेवीदेवी काबिज है व खातेदार काश्तकार है व एक मात्र अत्तराधिकारी है व अपने नाम भूमि जरिये म्युटेशन दर्ज करवाने के अधिकारी है व सायल का कोई कब्जा व काश्त है ही नही तो बेदखल करने का सवाल पैदा नहीं होता है व गैरसायल व रेवीदेवी व गोविन्द एक मात्र खातेदार काश्तकार है इसलिये गलत व गैर कानूनी कृत्य करने का कथन गलत है। व उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के कथन गलत है व सायल गौरवदीप न तो नैनाराम का दत्तक पुत्र है न ही नैनाराम जी ने कोई वसीयत की थी तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है। व नैनाराम की पैतृक जायदाद का वसीयत का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। न ही कोई वसीयत होती है तथाकथित वसीयतनामा फर्जी है व सायल के कोई हक है नही तो नैनाराम की भूमि सायल के नाम दर्ज कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है न ही कोई प्रार्थना पत्र ला सकता है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 252 की भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार मालिकाना हक व कब्जा काश्त सायल का है ही नहीं, ऐसा होने का कथन झूठा है व अस्वीकार है। व सायल नैनाराम का गोद पुत्र ही नहीं, ऐसा होने का कथन झूठा है व अस्वीकार है। व इसलिये तथाकथित गोदनामा फर्जी व गैर कानूनी वसीयत के आधार पर सायल खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का कतई अधिकारी नहीं है सायल की कोई खातेदारी भूमि है नहीं बल्कि मृतक नैनाराम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

माता रेवीदेवी व दत्तक पुत्र गोविन्द की एक मात्र उत्तराधिकारी है व सायल का कोई हक है नही ंतो हकों से महरूम होना व असीम क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है व मृतक नैनाराम ने सायल के पक्ष में दिनांक 25.05.2005 को किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा तकमील किया ही नहीं न ही कोई वसीयत हुआ है। इसलिये सायल नैनाराम के दादा रामसुख जी की पैतृत व पुश्तैनी कृषि भूमि का तथाकथित फर्जी वसीयतनामा के आधार पर एक मात्र मालिक होने के कथन गलत है। व अस्वीकार है। मंजूलता सायल की माता है व प्राकृतिक माता होने का कथन गलत है व सायल की भूमि है ही नही ंतो दिनांक 23.10.2007 को भूमि सायल के नाम दर्ज कराने का कहने व गैरसायल द्वारा मना करने का सवाल पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र करने की गरज से झूठे कथन लिखे हैं। सायल को कोई कब्जा है ही नही ंतो बेदखल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है सायल गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है सायल का प्रार्थना पत्र का बिल खारिज के होने से खांरिज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 पूर्णतया गलत है व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान नामंजूर करते है। सायल की कोई भूमि है ही नहीं व गैरसायल की भूमि है। व गैरसायल संख्या 01 जो मृतक नैनाराम की माता है। वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध उत्तराधिकारी है व वैध रूप से उसने अपने नाम दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया है व अपने नाम म्यूटेशन पारित कराने की अधिकारी है। व सायल का कोई इस भूमि में हक व अधिकार है ही नही ंतो गैरसायलान को किसी प्रकार से रोकने का व यदि गैरसायलान अपने इस भूमि का बेचान करे तो उसे रूकवाने का सायल को कोई अधिकार नहीं है। सायल गैरसायलान के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का बिल खारिज होने से खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र के फिकरा नम्बर 10 पूर्णतया गलत व नामंजूर है खसरा नम्बर 252 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा कृषि भूमि बैडकलां में जरूरी वाके है किन्तु उक्त कृषि भूमि के खातेदार नैनाराम द्वारा गौरवदीप को कभी गोद नहीं लिया गया तथा न ही कोई गोद की रस्म अदा की गई न गौरवदीप की माता ने उक्त गौरवदीप को नैनाराम को कभी गोद दिया। इसलिये कानून के अनुसार इस प्रक्रिया की पालना नहीं करने से गोद अवैध है और मृतक नैनाराम न अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि को जरिये वसीयत के उक्त गौरवदीप को करना भी अवैध व फर्जी दस्तावेज है मौके पर उक्त कृषि भुमि में कब्जा व काश्त गैरसायलान का है इसलिये गैरसायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला है तथा हर दृष्टिकोण से भी सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में है। इसलिये किसी भी तरह की कोई [illegible] थाई निषेधाज्ञा सायल गैरसायल के खिलाफ प्राप्त करने का कानू[illegible] श्रीमति रेवीदेवी उर्फ रेवली देवी जो की मृतक श्री नृसि[illegible] की बेवा है व गौरवदीप की दादी है और प्रतिवादी गैरसायलान संख्या 02 से 05 की माता [illegible] माता के जीवीत रहते नैनाराम द्वारा जो गौरवदीप के पक्ष में फर्जी व अवैध वसीयत बताई गई है इस वसीयत के आधार से उक्त गौरवदीप को कोई हक अधिकार प्राप्त कानूनन नहीं होते है एवं अकेले नैनाराम को भी जोकि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि जायदाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) [illegible] (पाली)

इसलिये इस आधार से अकेले नैनाराम को भी संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि को वसीयत करने का कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये इस आधार से भी वसीयत अवैध व फर्जी है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन हैं कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

मूल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 रेवी देवी पत्नि नरसिंह के फौत होने पर एवं प्रतिवादी के वारिसान पहले से ही रेकर्ड पर होने से वकील सायल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 का नाम डिलीट किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रथम दृष्ट्या मामलाः-

प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाज़ा में वादग्रस्त आराज़ी के खातेदार नैनाराम (फ़ौत) के गोद-पुत्र होने एवं स्वयं के पक्ष में वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नाबालिग होने से जरिये कुदरती वलिया प्राकृतिक माता के द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण (फ़ौत नैनाराम के भाई एवं माता) प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। मूल वाद के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज़ात एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज़ात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों आधारों पर घोषणा का वाद दर्ज करवाना एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनों आधारों का खंडन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन करना कि प्रार्थी के जैविक पिता का फ़ौतैदगी नामांतरण संख्या 114 दिनांक 20.09.2007 प्रार्थी को उत्तराधिकारी मानते हुए स्वीकृत होने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना प्रतीत होता है। अतः यह बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः-

चूंकि प्रथम बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध स्थपित हुआ है एवं प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त आराज़ी के संबंध में वह कौन-कौन सी सुविधाओं का उपयोग/ उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता हो। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested

3. अपूरणीय क्षतिः-

चूंकि प्रथम दोनों बिंदु प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुए है एवं प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तो उसे किस तरह से अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नही होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक क़म होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:25 IST
Reason: SelfAttested